कार्यालय अध्यक्ष,राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएँ,फीस निर्धारण समिति, राजीव गाँधी विद्या भवन,शिक्षा संकुल,जयपुर

दिनांकः–24.06.2014

आदेश

राजस्थान विद्यालय (फीस संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 7(2)(क) के अनुसार आपको विद्यालय की प्रस्तावित फीस संचरना संवीक्षा के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी थी, किन्तु आपने उक्त निर्देश पर ध्यान नहीं दिया। अस्तु समिति ने आर.टी.ई. पोर्टल पर उपलब्ध आपके विद्यालय की सूचना की संवीक्षा की और राजस्थान विद्यालय(फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के अंतर्गत आपके विद्यालय द्वारा उद्ग्रहणीय फीस संलग्न सूची में आपके विद्यालय के सम्मुख अंकितानुसार अवधारित की जाती है। उक्त फीस आर.टी.ई. पोर्टल के 2012–13 के भुगतान के अनुसार अवधारित मानी जावें।

आपको एतद्द्वारा समिति अपने विनिश्चय की सूचना संलग्न सूची के अनुसार प्रेषित कर रही है।

राजस्थान विद्यालय (फीस संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 6(3) में आपको अधिकार देती है कि आप यदि चाहे तो अपना आक्षेप 30 दिवसों के भीतर–भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। यह आदेश आपके जिले के सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न सूचीः– क्र0सं0 1 से तक

(गोविन्द कुमार शर्मा)
व0शासन उप सचिव एवं सदस्य सचिव
निजी शिक्षण संस्थाएँ, फीस निर्धारण समिति
शिक्षा संकुल जयपुर

क्रमांकः– काअ/फीनिस/फीस निर्धारण/प–10/2014/1-1838 दिनांकः–24.06.2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक,प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा,निदेशालय,राजस्थान–बीकानेर
2. उपनिदेशक,प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा,
3. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) जयपुर-I को प्रेषित का लेख है उक्त आदेश की तामील करवाकर तामील की प्रति सहित प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक..........................
5. रक्षित प्रति

वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं सदस्य सचिव

कार्यालय अध्यक्ष,राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएँ,फीस निर्धारण समिति, राजीव गाँधी विद्या भवन,शिक्षा संकुल,जयपुर

क्रमांकः—रानिशिसं / फीनिस / प—10 / फीस निर्धारण / 2014 /

दिनांकः—

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक / माध्यमिक(प्रथम / द्वितीय)
....

विषयः— निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण के आदेश तामील करवाने एवं तामील रिपोर्ट भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके परिक्षेत्राधीन अवस्थित निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण के आदेश आपको भिजवाये जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशो की तामील यथाशीघ्र करावें,साथ ही तामील की रिपोर्ट प्रमाणित कर निम्न प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	तामील की दिनांक	हस्ताक्षर
1	2	3	4

प्रमाणित

संबंधित जि0शि0अ0मय सील-

(गोविन्द कुमार शर्मा)
व0शासन उप सचिव एवं सदस्य सचिव
निजी शिक्षण संस्थाएँ, फीस निर्धारण समिति
शिक्षा संकुल जयपुर

क्रमांकः—काअ / फीनिस / फीस निर्धारण / प—10 / 2014 / 1839 दिनांकः— 24/6/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निदेशक,प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा,निदेशालय,राजस्थान—बीकानेर
2. उपनिदेशक(प्रारंभिक / माध्यमिक),जयपुर संभाग,जयपुर
3. रक्षित प्रति

वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं सदस्य सचिव